चोरी की **497** चीनी की बोरी बरामद जिसकी कीमत **10** लाख रुपये से अधिक व तीन शातिर चोर मय तमंचा/कारतूस के गिरफ्तार

21-04-2019

दिनांक 17.04.2019 को थाना को0 अकबरपुर में वादी श्री उमाकान्त शुक्ला पुत्र रामसागर शुक्ला मालिक जय मां अम्बे ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अकबरपुर की तहरीर पर अपनी चीनी की 600 बोरी चोरी हो जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 - 205/19 धारा-379,406 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार राय के नेतृत्व में गहन विवेचना पतारसी सुरागरसी व मुखबिर की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया व 497 चीनी की बोरी बरामद की गई जिसकी 10 लाख रुपये से अधिक है।

घटना का संक्षिप्त विवरण/पूछताछ का खुलासा

थाना को0अकबरपुर मे उमाकान्त शुक्ला मालिक जय माँ अम्बे ट्रांसपोर्ट कम्पनी ने दि0 17.04.019 को इस बाबत सूचना दी कि दि0 13.04.019 को ट्रक नं यू0पी0 45 टी0 4631 को एक बिल्टी 600 बोरे चीनी के जो की मनकापुर चीनी मील बलरामपुर यूनिट से प्राप्त करने के लिये निर्गत की थी इस माल को पटना लेकर जाना था। दि0 17.04.019 को जब उमाकान्त शुक्ला द्वारा उपरोक्त ट्रक की मय माल की जानकारी हेतु ट्रक के मालिक संदीप कुमार से जानकारी ली तो उसके द्वारा बताया गया की ट्रक लाल ब्रदर्स पर खडा है और कल यह ट्रक पटना निकल जायेगा। अगले दिन उमाकान्त शुक्ला द्वारा पुनः जानकारी ली गयी तो ट्रक मालिक द्वारा गोल मोल जवाब ट्रक व माल के सम्बन्ध मे देना शुरु कर दिया शक होने पर उमाकान्त शुक्ला द्वारा थाना स्थानीय पर इस घटना के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 205/19 धारा 379/406 भादवि बनाम ट्रक मालिक संदीप कुमार के पंजीकृत कराया।

गहन विवेचना पतारसी सुरागरसी व मुखबिर की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा दि0 20.04.019 को अंकित यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव नि0 बैजपुर थाना अहिरौली जनपद अम्बे0नगर को मय एक अदद तमंचे 315 बोर व एक अदद कारतूस व संदीप कुमार वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा नि0 लोहरा सैदापुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बे0नगर को डोमनेपुर वाली तमसा नदी पुल पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर संदीप कुमार वर्मा उपरोक्त ने बताया कि मै ट्रक सं0 यू0पी0 45 टी0 4631 का मालिक हूँ मेरी ही ट्रक से जय माँ अम्बे ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक उमाकान्त शुक्ला का माल मनकापुर चीनी मील से आना था मैने व मेरे साथ पकड़े गये संदीप व हमारे एक साथी धर्मेन्द्र यादव एक योजना के तहत लाल ब्रदर्स पेट्रोल पम्प से अपने ही ट्रक को धर्मेन्द्र यादव से चुरवा दिया और हमे यह यकीन था अगर पुलिस शक करेगी तो उस समय के चालक अमर बहादुर पुत्र जिलाजीत यादव नि0 कटघरा जनपद सुल्तानपुर पर शक करेगी और वही फँसेगा और बाद मे यदि मुकदमा लिखा जायेगा तो तब तक हम माल खप्पा देगें और ट्रक को लावारिस कही खड़ाकरके बरामद करा देगें। हमने इस माल को एक अन्य साथी के घर पर जिसका नाम श्रीराम पुत्र मेवालाल नि0 सिकन्दरपुर मोहिद्दीनपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बे0नगर 487 बोरी छिपाकर रख दिये है तथा 05 बोरी मेरे घर पर है तथा 05 बोरी अंकित के घर पर रखी है। दोनो गिरफ्तार अभियुक्तो की निशादेही पर दोनो के घर से 05-05 बोरी बरामद की गयी तथा 487 बोरी मय अभि0 श्रीराम उपरोक्त के गिरफ्तार करते हुए बरामद की गयी बाकी की 103 बोरी को अभि0 धर्मेन्द्र यादव द्वारा छिपाई गयी है जो फरार है जिसको गिरफ्तार कर बरामद की जायेगी। तथा अभि0 अंकित यादव से बरामद नाजायज तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 212/19 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत है।

नाम पता अभियुक्तगण

1- अंकित यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव निवासी बैजपुर थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर

2- संदीप कुमार वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा निवासी लोहरा सैदापुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर

3- श्रीराम पुत्र मेवालाल निवासी मोहिद्दीनपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर

नाम पता फरार अभियुक्त

1 - धर्मेन्द्र यादव पुत्र स्व0 गुरूप्रसाद निवासी जनार्दनपुर थाना टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर

बरामदगी का विवरण

1- चीनी की 497 अदद बोरी मनकापुर चीनी मील की

2- एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

बरामदगी के सम्बन्ध पंजीकृत मुकदमों का विवरण

1- मु0अ0सं0 - 205/19 धारा-379,406 भादवि थाना को0 अकबरपुर

2- मु0अ0सं0- 212/19 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 अकबरपुर

गिरफ्तारकर्ता टीम (थाना को**0** अकबरपुर)

01. व0उ0नि0 श्रवण सिंह

02. उ0नि0 चन्द्रभान यादव

03. उ0नि0 अभय कुमार

04. कां0 रामकुमार यादव

05. कां0 एजाज अहमद